



**प्रेस नोट थाना मक्खनपुर कुर्की दिनांक 01-01-2026 जनपद फिरोजाबाद ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में नामजद गैंगलीडर अभियुक्त शकील मास्टर की मूल्य 69,66,228/- (69 लाख 66 हजार 228 रुपये) की चल / अचल सम्पत्ती को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में आदतन / संगठित गिरोह बनाकर गम्भीर अपराध कराति करने वाले अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....
- गैंगलीडर शकील मास्टर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर हत्या, मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, गाँजा बेचना एवं जुआ (सट्टा) खेलना/ खिलाना जैसे जघन्य अपराध कारित करके अवैध धन अर्जित किया गया है ।
- शातिर अभियुक्त गैंगलीडर शकील मास्टर पर जनपद के विभिन्न थानों में करीब डेढ़ दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत.....

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों को विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 589/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित शातिर अभियुक्त गैंगलीडर शकील मास्टर पुत्र खालिक उर्फ अब्दुल खालिद निवासी रुकनपुरा, थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अचल सम्पत्ति मूल्य 69,66,228/- (69 लाख 66 हजार 228 रुपये) को आज दिनांक 01-01-2026 को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है । अभियुक्त शकील मास्टर द्वारा लगातार अपराध कारित करते हुए अवैध धन अर्जित कर अवैध अचल सम्पत्ति अपने व अपने पुत्र मौहम्मद अकील के नाम क्रय की गयी है, जिसका उपभोग अभियुक्त द्वारा किया जा रहा है । अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है ।

**नाम पता अभियुक्त:-**

1-अभियुक्त शकील मास्टर पुत्र खालिक उर्फ अब्दुल खालिद निवासी रुकनपुरा, थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।

**अभियुक्त शकील मास्टर का आपराधिक इतिहास –**

1-मु0अ0सं0 155/1995 धारा 147,148,302,201 भादवि थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।

2-मु0अ0सं0 774/02 धारा 323,504,506 भादवि थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।

- 3-मु0अ0सं0 427/04 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 4-मु0अ0सं0 126/06 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 5-मु0अ0सं0 414/08 धारा 13 जी एक्ट थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 6-मु0अ0सं0 533/10 धारा 13 जी एक्ट थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 7-मु0अ0सं0 253/2016 धारा 307 भादवि शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 8-मु0अ0सं0 125/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 9-मु0अ0सं0 520/2017 धारा 13 जी एक्ट शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 10-मु0अ0सं0 713/18 धारा 13 जी एक्ट शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 11-मु0अ0सं0 823/2018 धारा 332, 353 भादवि शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 12-मु0अ0सं0 848/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 13-मु0अ0सं0 456/2022 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 14-मु0अ0सं0 178/2023 धारा 13जी एक्ट शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 15-मु0अ0सं0 215/24 धारा ¾ सार्वजनिक जूआ अधिनियम थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 16-मु0अ0सं0 301/25 धारा ¾ सार्वजनिक जूआ अधिनियम थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 17-मु0अ0सं0 572/25 धारा ¾ सार्वजनिक जूआ अधिनियम थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।  
 18-मु0अ0सं0 589/2025 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।  
 19- मु0अ0सं0 252/2009 धारा 3/4 जुआ अधि0 थाना बसई मौ0पुर जनपद फिरोजाबाद ।

अभियुक्त शकील मास्टर उपरोक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ लगातार अपराध कारित कर कई अवैध चल / अचल सम्पत्ती अर्जित की गयी हैं जिसमें थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा कुर्क करते हुए जब्तीकरण की गयी सम्पत्ती का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	सम्पत्ती का स्वामी	सम्पत्ती का प्रकार	मूल्यांकन रूपयों में
1	मौहम्मद अकील पुत्र मुहम्मद शकील उर्फ शकील मास्टर जनपद फिरोजाबाद ।	मौजा रुकनपुरा आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 52.92 वर्गमीटर, जिस पर तीन मंजिला मकान प्रथम श्रेणी निर्मित	29,31,768/- रुपए
2	मौहम्मद शकील उर्फ शकील मास्टर पुत्र अब्दुल खालिक	मौजा रुकनपुरा प्लॉट का क्षेत्रफल 5.20 वर्गमीटर जिस पर तीन मंजिला मकान प्रथम श्रेणी निर्मित	38,480/-
3	मौहम्मद अकील पुत्र मुहम्मद शकील उर्फ शकील मास्टर जनपद फिरोजाबाद ।	मौजा रुकनपुरा आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 90.70 वर्गमीटर, उपरोक्त विलेख में भूखण्ड के 58.55 वर्गमीटर पर पक्का निर्माण तथा शेष 32.15 वर्गमीटर पर एक मंजिला मकान प्रथम श्रेणी निर्मित	39,95,980/-
कुल जब्त की गयी सम्पत्ती का योग (रूपयों में)-----			69,66,228/- रुपए (69 लाख 66 हजार 228 रुपए)